

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

कक्षा-11(सत्र 2023-24) / इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2024 के परीक्षा आवेदन-पत्र भरने के लिये निर्देश एवं विषय कोड एवं विषयों के नाम तथा वर्गानुसार विषयों का चयन

- 1- आवेदन-पत्र की समस्त सूचनायें निर्देशानुसार भरी जायेंगी।
- 2- आवेदन-पत्र के क्रम (1) से (4) की सूचनायें प्रधानाचार्य द्वारा भरी जायेंगी।
- 3- वर्ष 2023 की इण्टरमीडिएट संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा में सम्पूर्ण विषयों से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक परीक्षार्थी की निम्नलिखित विषय वर्गों के अनुसार 5 विषयों की परीक्षा ली जायेगी। कृषि भाग-2 हेतु छः विषय निर्धारित हैं।

निर्धारित विषय वर्ग का नाम एवं कोड: (1).मानविकी वर्ग-A (2).वैज्ञानिक वर्ग-B (3).वाणिज्य वर्ग-C
(4).कृषि वर्ग भाग-एक -F₁ (5).कृषि वर्ग भाग-दो -F₂ (6).व्यावसायिक वर्ग-I

मानविकी वर्ग-(A)

अनिवार्य विषय- 101-हिन्दी अथवा 102-सामान्य हिन्दी, 173- नैतिक, योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा, तथा निम्नलिखित (क) से (घ) तक के वैकल्पिक विषयों में से कोई चार विषय -

(क)-निम्नांकित में से एक भारतीय भाषा :-

103-संस्कृत	104-उर्दू	105-गुजराती	106-पंजाबी	107-बंगाली	108-मराठी
109-आसामी	110-उड़िया	111-कन्नड़	112-रिक्त	113-सिन्धी	114-तमिल
115-तेलुगू	116-मलयालम	121-नेपाली।			

(ख)-निम्नांकित में से एक विदेशी भाषा :-

117-अंग्रेजी।

(ग)-निम्नांकित में से एक शास्त्रीय भाषा :-

124-पाली; 125-अरबी; 126-फारसी।

नोट:- मानविकी वर्ग में अनिवार्य भाषा हिन्दी/सामान्य हिन्दी सहित अधिकतम तीन भाषाओं का ही चयन किया जा सकता है।

(घ)-128-इतिहास; 129-भूगोल; 130-नागरिकशास्त्र;131-गणित; 132-सैन्यविज्ञान; 133-मनोविज्ञान अथवा 134-शिक्षाशास्त्र अथवा 137-तर्कशास्त्र; 135-गृहविज्ञान; 136-अर्थशास्त्र; 138-संगीत(गायन) अथवा 139-संगीत(वादन) अथवा 150-नृत्यकला; 140-चित्रकला(आलेखन) अथवा 141-चित्रकला(प्रावैधिक) अथवा 149-रंजनकला; 142-समाजशास्त्र; 144-कम्प्यूटर; 145-काष्ठशिल्प अथवा 146-ग्रन्थशिल्प अथवा 147-सिलार्ड; 174-मानव विज्ञान; 175-एन0सी0सी0।
(नोट:-एन0सी0सी0 विषय को केवल मानविकी वर्ग में लागू किया गया है।)

विज्ञान वर्ग-(B)

अनिवार्य विषय- 101-हिन्दी अथवा 102-सामान्य हिन्दी, 173- नैतिक, योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा।

निम्नलिखित में से कोई चार विषय

151-भौतिक विज्ञान; 152-रसायन विज्ञान; 153-जीव विज्ञान अथवा 131-गणित; 144-कम्प्यूटर;

भाषाओं के निम्नांकित वैकल्पिक विषयों में से कोई दो विषय।

(क)-निम्नांकित में से एक भारतीय भाषा :-

103-संस्कृत	104-उर्दू	105-गुजराती	106-पंजाबी	107-बंगाली	108-मराठी
109-आसामी	110-उड़िया	111-कन्नड़	112-रिक्त	113-सिन्धी	114-तमिल
115-तेलुगू	116-मलयालम	121-नेपाली।			

(ख)-निम्नांकित में से एक विदेशी भाषा :-

117-अंग्रेजी।

(ग)-निम्नांकित में से एक शास्त्रीय भाषा :-

124-पाली; 125-अरबी; 126-फारसी।

नोट:- विज्ञान वर्ग में अनिवार्य भाषा हिन्दी/सामान्य हिन्दी सहित अधिकतम तीन भाषाओं का ही चयन किया जा सकता है।

वाणिज्य वर्ग-(C)

अनिवार्यविषय-

102-सामान्य हिन्दी; 156-लेखाशास्त्र(**Accountancy**); 157-व्यवसाय अध्ययन(**Business Studies**);

173-नैतिक, योग, खेल एवं शारीरिकशिक्षा।

निम्नलिखित में से कोई दो विषय

117-अंग्रेजी; 131-गणित। 136-अर्थशास्त्र; 144-कम्प्यूटर.

कृषि वर्ग भाग-एक (प्रथम वर्ष परीक्षा कक्षा-11) -(F₁)

अग्रांकित सभी विषय अनिवार्य हैं- 163-शस्यविज्ञान; 164-कृषि वनस्पतिविज्ञान; 165-कृषि भौतिकविज्ञान एवं जलवायुविज्ञान;

166-कृषि अभियंत्रण; 167-कृषि गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी।

नोट :- हिन्दी अथवा सामान्य हिन्दी विषय की परीक्षा कृषि भाग-1 प्रथम वर्ष में नहीं ली जायेगी। इस विषय की परीक्षा कृषि भाग-2 (द्वितीय वर्ष) में एक वर्षीय पाठ्यक्रम के आधार पर ली जायेगी।

कृषि वर्ग भाग-दो (द्वितीय वर्ष परीक्षा कक्षा-12) -(F₂)

अनिवार्य विषय- 101-हिन्दी अथवा 102-सामान्य हिन्दी, 173- नैतिक, योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा।

अग्रांकित सभी विषय अनिवार्य हैं- 168-शस्यविज्ञान; 169-कृषि अर्थशास्त्र; 170-कृषि जन्तुविज्ञान; 171-कृषि

पशुपालन एवं पशु चिकित्साविज्ञान; 172-कृषि रसायन विज्ञान।

व्यावसायिक वर्ग—(I)

प्रथम अनिवार्य विषय— 102—सामान्य हिन्दी (व्यावसायिक वर्ग के परीक्षार्थी 101—हिन्दी विषय का चयन नहीं कर सकते हैं।)

द्वितीय अनिवार्य विषय— 201—सामान्य आधारीक विषय

तृतीय अनिवार्य विषय— निम्नलिखित 42 व्यावसायिक ट्रेड विषयों में से कोई एक ट्रेड विषय :-

202—फल एवं खाद्य संरक्षण; 203—पाकशास्त्र; 204—परिधान रचना एवं सज्जा; 205—धुलाई तथा रंगाई; 206—बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी; 207—टेक्सटाइल डिजाइन; 208—बुनाई तकनीक; 209—नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध; 210—पुस्तकालय विज्ञान; 211—बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मिक (लेबोरेटरी तकनीक सहित); 212—रंगीन फोटोग्राफी, 213—रेडियों एवं रंगीन टेलीविजन, 214—आटोमोबाइल्स; 215—मधुमक्खी पालन; 216—डेरी प्रौद्योगिकी; 217—रेशमकीट पालन; 218—बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी; 219—फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकी; 220—पौधशाला; 221—भूमि संरक्षण एवं भूमि सुधार; 222—एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण, 223—बैकिंग, 224—आशुलिपि एवं टंकण(हिन्दी); 225—आशुलिपि एवं टंकण(अंग्रेजी), 226—विपणन एवं विक्रयकला; 227—सचिवीय पद्धति; 228—बीमा; 229—सहकारिता; 230—टंकण हिन्दी तथा अंग्रेजी; 231—मुद्रण; 232—कुलालविज्ञान; 233—कृत्रिम अंग एवं अवयव तकनीक; 234—इम्ब्राइडरी; 235—हैण्ड ब्लाक प्रिंटिंग; 236—मेटलकापट(मोल्टिंग); 237—मेटलकापट(इनग्रेविंग); 238—कम्प्यूटर तकनीक एवं मेन्टेनेन्स(डाटा इन्ट्री प्रोसेस); 239—घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रख रखाव; 240—रिटेल ट्रेडिंग; 241—सेक्योरिटी; 242—मोबाइल रिपैरिंग; 243—टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटैलिटी; 244—आईटी0टी0/आईटी0ई0एस0; 245—हेल्थ केयर।

चतुर्थ वैकल्पिक विषय— निम्नांकित विषयों में से कोई एक विषय :-

103—संस्कृत	104—उर्दू	105—गुजराती	106—पंजाबी	107—बंगाली	108—मराठी
109—आसामी	110—उड़िया	111—कन्नड़	112—रिक्त	113—सिन्धी	114—तमिल
115—तेलुगू	117—अंग्रेजी	116—मलयालम	121—नेपाली	124—पाली	125—अरबी
126—फारसी					
128—इतिहास	129—भूगोल	130—नागरिकशास्त्र	131—गणित	132—सैन्यविज्ञान	133—मनोविज्ञान
134—शिक्षाशास्त्र	137—तर्कशास्त्र	135—गृहविज्ञान	136—अर्थशास्त्र	138—संगीत(गायन)	139—संगीत(वादन)
140—चित्रकला(आलेखन)	141—चित्रकला(प्रावैधिक)	142—समाजशास्त्र			
151—भौतिक विज्ञान	152—रसायन विज्ञान	153—जीव विज्ञान,			
174—मानव विज्ञान,	200—वैकल्पिक शस्य विज्ञान.				

नोट-1—एक बार सम्पूर्ण विषयों से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण किये हुए परीक्षार्थी यदि अपने उत्तीर्ण किये हुये विषयों को छोड़कर किसी अन्य विषय/विषयों से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहते हैं तब वे परिषद के विनियम-17(2) अध्याय बारह के अन्तर्गत (कम्प्यूटर, कृषि भाग-1, कृषि भाग-2 तथा व्यावसायिक वर्ग के विषय को छोड़कर) अधिकतम चार अतिरिक्त विषयों में परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

2— परिषद के विनियम-17(2) अध्याय बारह के अन्तर्गत कोई भी परीक्षार्थी एक से अधिक वर्गों के विषयों का एक साथ चयन कर परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकता है।

नोट:- 1—सभी वर्गों के परीक्षार्थियों हेतु विषय 173— नैतिक, योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा की परीक्षा विद्यालय स्तर पर आंतरिक रूप से ली जायेगी। परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का अंकन उसके अंकपत्र/प्रमाणपत्र पर किया जायेगा।

परीक्षार्थियों हेतु अत्यावश्यक/महत्वपूर्ण निर्देश

- 1— परीक्षार्थी ने एकबार जिस विषय/विषयों से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो दुबारा उसमें परीक्षा देने की अनुमति नहीं है।
- 2— आवेदनपत्र के निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी का पासपोर्ट साइज का ब्लैक एण्ड व्हाइट/रंगीन फोटो लगाना अनिवार्य है।
- 3— **कोई परीक्षार्थी किसी भी दशा में दो विद्यालयों से संस्थागत/व्यक्तिगत आवेदनपत्र ऑनलाइन अग्रसारित नहीं करायेगा अन्यथा उसके सभी आवेदनपत्र स्वतः निरस्त हो जायेंगे, जिसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित परीक्षार्थी का होगा।**
- 4— विनियम-17(2) अध्याय बारह के अन्तर्गत परीक्षार्थी (कम्प्यूटर, कृषि वर्ग तथा व्यावसायिक वर्ग के विषयों को छोड़कर) अधिकतम चार विषयों में परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है।
- 5— किसी भी व्यक्तिगत परीक्षार्थी को अध्याय-12 के विनियम 17(2) के अन्तर्गत कम्प्यूटर, कृषि एवं व्यावसायिक वर्ग के विषयों में परीक्षा देने की अनुमति नहीं है।
- 6— **कृषि एवं व्यावसायिक वर्ग** के विषयों में केवल उन वर्गों के **गत वर्ष/वर्षों के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी** ही व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में अपना व्यक्तिगत आवेदन पत्र भर सकेंगे।
- 7— मानविकी, वैज्ञानिक एवं वाणिज्य वर्ग में **कम्प्यूटर विषय** में केवल इस विषय के गत वर्ष के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी ही व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं।
- 8— **विनियम के अन्तर्गत परीक्षार्थी केवल एक ही विषयवर्ग के अन्तर्गत निर्धारित विषयों में से ही अपने विषय का चयन कर सकता है, अर्थात् दो भिन्न विषयवर्गों में निर्धारित विषयों का चयन एक साथ नहीं किया जा सकता है।**
- 9— **किसी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् विनियम के अन्तर्गत परीक्षा देने हेतु उस विषय का चयन पुनः नहीं किया जा सकता है।**

नोट:- अन्य परीक्षा संस्था/परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण किये हुये परीक्षार्थियों को अपने अर्हता सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्रों को अग्रसारण विद्यालय के प्रधानाचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिन परीक्षार्थियों को संबंधित परीक्षा संस्था/परिषद् से उत्तीर्ण परीक्षा का मूल प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, उसके लिये यह आवश्यक होगा कि वह अस्थायी प्रमाण-पत्र के साथ उक्त परीक्षा संस्था/परिषद् का इस आशय का लिखित प्रमाण-पत्र दें कि उन्होंने वास्तव में उक्त परीक्षा संस्था/परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण की है, किन्तु प्रमाण-पत्र परीक्षा वर्ष से पूर्व की 1 जुलाई तक जारी नहीं किया गया है।

Subject/Group Combination Rules for Class 11th(2023-24) / Intermediate Examination 2024.

Group-"A" (Humanities)

- (1) All candidates must offer one subject from 101-Hindi or 102-Gen.Hindi..
- (2) All candidates must offer **4 optional subjects** from the following subject groups **(one), (two), (three) and (four)**.
- (3) Only one subject can be offered from each subject (language) groups **(one), (two) and (three) but not more than two languages can be offered** as optional subject, this means that candidate can offer maximum three languages including Hindi/General Hindi language.

(One)- 103-Sanskrit, 104-Urdu, 105-Gujrati, 106-Punjabi, 107-Bengali, 108-Marathi, 109-Assames, 110-Oriya, 111-Kannada, 112-, 113-Sindhi, 114-Tamil, 115-Telugu, 116-Malyalam, or 121-Nepali.

(Two)- 117-English.

(Three)- 124-Pali, 125-Arabic, 126-Persian.

(Four)-

(A)-128-History; **(B)-**129-Geography; **(C)-**130-Civics; **(D)-**131-Mathematics; **(E)-**132-Military Science

(F) -133-Psychology or 134-Education or 137-Logic; **(G)-**135-Home Science; **(H)-**136-Economics

(I)-138-Music Vocal or 139-Music Instrumental or 150-Dancing; **(J)-**140-Drawing Design or 141-Drawing Technical or 149-

Painting; **(K)-**142-Sociology; **(L)-**144-Computer; **(M)-**145-Wood Craft or 146-Book Craft or 147-Tailoring **(N)-** 174-Anthropology

(O)- 175-NCC (only in Humanities Group)

Group-"B" (Science)

One subject from 101-Hindi or 102-Gen.Hindi

- (1) Four subjects from the following groups. Only one subject can be offered from each subject group:-

(A)- 151-Physics; **(B)-** 152-Chemistry; **(C)-** 153-Biology **OR** 131-Mathematics; **(D)-** 144-Computer

(E)- Two language subject from code 103 to 126 from 'Humanities Group'.

Group "C" (Commerce)

- (1) 102-Gen.Hindi.

(2) Must offer subjects- 156-Accountancy and 157-Bussines Studies

(3) Two subjects from the following:-

(A)- 117-English; **(B)-** 131-Math; **(C)-** 136-Economics; **(D)-** 144-Computer

Group "E₁" (Agriculture Part-1)

- (1) One subject from 101-Hindi or 102-Gen.Hindi.

(2) All candidates must offer subject 163-Agronomy, 164-Ag. Botany, 165-Physics and Climatology, 166-Agriculture Engineering, 167-Ag. Math and Elementary Statistics.

Note:- Examination of subject 101-Hindi or 102-Gen. Hindi will not be held in Agriculture Part-I. Examination of these subjects will be held on the basis of One-year course in Agriculture Part-II.

Group "E₂" (Agriculture Part-2)

- (1) One subject from 101-Hindi or 102-Gen.Hindi.

(2) All candidates must offer subject 168- Agronomy Sixth, 169- Ag. Economics, 170- Ag. Zoology, 171- Animal Husbandry, 172- Ag. Chemistry.

Group "I" (Vocational)

- (1) Candidates must offer subject 102-Gen. Hindi.

(2) Must offer subject 201 VOC GF Subject.

(3) Must offer Any one Trade subject from subject code **202 to 245**.

(4) Any one subject from 103-Sanskrit, 104-Urdu, 105-Gujrati, 106-Punjabi, 107-Bengali, 108-Marathi, 109-Assames, 110-Oriya, 111-Kannada, 113-Sindhi, 114-Tamil, 115-Telugu, 116-Malyalam, 117-English, 121-Nepali, 124-Pali, 125-Arabic, 126-Persian, 128-History, 129-Geography, 130-Civics, 131-Mathematics, 132-Military Science, 133-Psychology, 134-Education, 135-Home Science, 136-Economics, 137-Logic, 138-Music Vocal, 139-Music Instrumental, 140-Drawing Design, 141-Drawing Technical, 142-Sociology, 151-Physics, 152-Chemistry, 153-Biology, 174-Anthropology; 200-Optional Agronomy.

Note:- Subject Code 173-Moral, Yoga, Sports and Physical Education is Compulsory for all Regular and Private Candidates of Regulation-I (appearing in full subject exam).